



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 191-2022/Ext.]

चण्डीगढ़, बुधवार, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022
(4 कार्तिक, 1944 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या का०अ० 81/के०अ० 21/2000/धा० 70/2022, दिनांक 26 अक्टूबर, 2022 —सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21), की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित करने बारे।	771-772
भाग IV	शुद्धि पर्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं	

भाग—III

हरियाणा सरकार

विद्युत विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 अक्तूबर, 2022

संख्या का०आ० 81/के०अ० 21/2000/धा० 70/2022.— सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का केन्द्रीय अधिनियम 21), की धारा 70 की उपधारा (1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा के राज्य भार प्रेषण केंद्र की विवेचित सूचना अवसंरचना होने के नाते पर्यवेक्षी नियन्त्रण और डेटा अभिग्रहण प्रणाली तथा संघटित वास्तविक समय गतिबोधक दशा मापन प्रणाली और इसकी संबद्ध निर्भरताओं के कम्प्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजनों के लिए संरक्षित प्रणाली के रूप में घोषित करते हैं।

वी० उमाशंकर,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
विद्युत विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

POWER DEPARTMENT

Notification

The 26th October, 2022

No. S.O. 81/C.A. 21/2000/S. 70/2022.— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (Central Act 21 of 2000), the Governor of Haryana hereby, declares the Supervisory Control and Data Acquisition System and Unified Real Time Dynamic State Measurement System, being Critical Information Infrastructure of State Load Despatch Centre of Haryana and the computer resources of its associated dependencies to be Protected Systems for the purposes of the said Act.

V. UMASHANKAR,
Principal Secretary to Government, Haryana,
Power Department.